सुरक्षा नियमों के अनुपालन का संदेश

भारी अनुरक्षण में सुरक्षा जागरुकता कार्यशाला

बोकारो : बीएसएल के भारी अनुरक्षण(यांत्रिक) विभाग में कार्यरत ठेका सुपरवाइज़र, ठेकेदार एवं ठेका श्रमिकों के लिये सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में महाप्रबंधक (यांत्रिक) बी मुखोपाध्याय, उपमहाप्रबंधक(सुरक्षा)डी कुमार, उपमहाप्रबंधक भारी अनुरक्षण (यांत्रिक) डी पाल एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी सहित 65 प्रतिभागी उपस्थित थे. कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मुखर्जी ने उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने का संदेश दिया. श्री कुमार एवं श्री पाल ने कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डाला. उद्घाटन सत्र के पश्चात् कनीय प्रबंधक(सुरक्षा) राजेश कुमार ने कार्यस्थल पर ठेका श्रमिकों की सुरक्षा में ठेका सुपरवाइजर्स की भूमिका पर जानकारी दी. प्रतिभागियों को गैस सुरक्षा, ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा, मैटेरियल हैंडलिंग के दौरान सुरक्षा, रेल–सड़क सुरक्षा इत्यादि पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रतिभागियों को सुरक्षा जागरूकता पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखलायी गयी. कार्यशाला के अंत में श्री रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

दोषियों पर होगी कार्रवाई : एसपी

एएसआई व टाइगर मोबाइल के दो जवान निलंबित

फर्नीचर दुकान में हुई चोरी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप

बोकारो : बोकारो की पुलिस कप्तान ए विजयालक्ष्मी ने एएसआई और टाइगर मोबाइल के जवान को निलंबित कर दिया है. विजयालक्ष्मी का कहना है कि जांच के बाद ये दोषी पाये गये हैं इसलिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कालीबाड़ी मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर रामडीह बस्ती झोपड़ी निवासी संजय शर्मा की फुटपाथ पर फर्नीचर की दुकान है.21 फरवरी की देर रात करीब दो बजकर 35 मिनट पर एक टाइगर मोबाइल फर्नीचर दुकान के पास से गुजरा. कुछ मिनट के बाद वो जिधर से आया था फिर उसी तरफ जाता दिखायी दिया. इसके बाद एक ट्रक फर्नीचर की दुकान के सामने आकर रूका. इसमें से दो लोग बाहर आये . बड़े आराम से फर्नीचर दुकान का ताला खोला. ताला खुलते ही ट्रक से उतरकर पांच लोग अंदर प्रवेश कर गये. जल्दी– जल्दी एक–एक कर पलंग, दीवान, सागवान की लकड़ी ट्रक में लोड कर दिया . विदित हो कि यहां के रात्रि हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास संजय शर्मा के फर्नीचर दुकान में हुई चोरी के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ. घटनास्थल के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की सारी वारदात कैद हुई थी, जिसमें पुलिस गश्ती के दौरान एएसआई धीरेंद्र और टाइगर मोबाइल के जवान संजीव भगत ने लापरवाही बरती थी. फुटेज देखने के बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई और टाइगर मोबाइल के जवान को निलंबित कर दिया.

गोमिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण

बेरमो(बोकारो) : बोकारो के उपविकास आयुक्त अरविंद कुमार ने गोमिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने प्रखंड के नजारत से संबंधित रोकड़ पंजी एवं अन्य दस्तावेज की जांच की. डीडीसी ने अंचलाधिकारी जेसलिन विनिता एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद सहित प्रखंड कर्मियों से चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. इधर बेरमो एसडीओ द्वारा गठित कमेटी ने टीटीपीएस ऐश पौंड का जायजा लिया. ऐश पौंड जांच कमेटी ने पानी का सैंपल भी यहां से लिया. ऐश पौंड से प्रभावित गांव कुशमांडु के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक योगेंद्र महतो से की थी. विधायक ने बेरमो एसडीओ से टीटीपीएस ऐश पौंड को जांच के लिए एक कमेटी गठन करने को कहा गया था. इसी के तहत कमेटी सदस्यों ने निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टीटीपीएस का ऐश छाई युक्त पानी बहाया जा रहा है. इस हिसाब से तेनुघाट जलाशय, दामोदर नदी कंटेल नदी का अस्तित्व खतरे में है.

ट्रेलर व बाइक में टक्कर

बोकारो : यहां के माराफारी थाना क्षेत्र अन्तर्गत रितुडीह स्थित मंदिर के पास ट्रेलर व मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गयी, जिसमें बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया. दुर्घटना के बाद घायल को तत्काल इलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया गया. उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

ऑपरेशन गैरेज में कार्यस्थल पर कार्मिक कार्यक्रम

बोकारो : कार्यस्थल पर कार्मिक नामक कार्यक्रम की कड़ी में बीएसएल के ऑपरेशन गैरेज विभाग में इसका आयोजन किया गया. इस मौके पर उप महाप्रबंधक(ओजी एंड सीबीआरएस) एल राम मुख्य अतिथि रहे. इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक(कार्मिक) अनुपमा तिवारी, सहायक प्रबंधक (कार्मिक) एके चौबे, कनीय प्रबंधक अंकिता देव सहित ओजी विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे. कार्यक्रम में उपस्थित कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने कर्मियों को एलटीसी, एलटीए, पीएफ, ग्रैच्युइटी इत्यादि बिंदुओं से अवगत कराया तथा उनके प्रश्नों के उत्तर दिये. उपस्थित कर्मियों ने भी इस आयोजन का लाभ उठाते हुए नियमों एवं प्रावधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की.

प.सिंहभूम जिले में अभी तक नहीं पहुंचा है माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम

रजनीश आनंद

भारत एक ऐसा देश है, जहां माहवारी पर चर्चा प्रतिबंधित है. ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दीगर है, शहरी क्षेत्रों की पढ़ी–लिखी महिलाएं और किशोरियां भी इस विषय पर बात करने से बचती हैं. परिणाम यह होता है कि जब किशोरियां और महिलाएं माहवारी संबंधित समस्याओं से ग्रसित रहती हैं, तो वे तब तक उसके बारे में किसी से नहीं बताती हैं, जब तक कि वह बीमारी या बड़ी परेशानी का रूप न ले ले. माहवारी औरतों के शरीर में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें छुपाने जैसी कोई चीज नहीं है. लेकिन भारतीय समाज कई तरह की भ्रांतियों से जकड़ा है, झारखंड का आदिवासी समाज तो भ्रांतियों के साथ–साथ अंधविश्वास का भी शिकार है. जिसके कारण आदिवासी समाज की महिलाएं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं. झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला इसका उदाहरण है. महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों ने माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों और अंधविश्वासों को मिटाने का बीड़ा उठाया है. जिनमें प्रमुख हैं यूनिसेफ, महिला सामाख्या, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एफएक्सबी सुरक्षा. माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाने और स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के प्रयासों में यूनिसेफ दो जिला पलामू और पूर्वी सिंहभूम में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पांच जिला रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में जबकि महिला सामाख्या 11 जिला रांची,

खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह, गढ़वा और चतरा में कार्यरत है.यूनिसेफ की सोनाली मुखर्जी ने बताया कि माहवारी स्वच्छता से संबंधित उनका कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम(जमशेदपुर) और पलामू में चल रहा है. जहां वे महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं. यूनिसेफ का उद्देश्य महिलाओं को यह बताना है कि वे किस तरह से साफ–सफाई से रह सकती हैं. इसके लिए वे महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं. जहां महिलाओं को यह बताया जाता है कि वे अगर सेनेटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं, तो उसे किस तरह इस्तेमाल करना है और अगर वे कपड़े का प्रयोग करती हैं, तो किस तरह उसका प्रयोग करके वे स्वस्थ रह सकती हैं. महिलाओं को यह भी बताया जाता है कि सेनेटरी नैपकिन को किस तरह नष्ट करना है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे. यूनिसेफ की ओर से नैपकिन का वितरण नहीं किया जाता है. यूनिसेफ माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों और अंधविश्वासों को मिटाने के प्रयास में भी जुड़ा है और इसके लिए वह अन्य संस्थाओं और कार्यक्रम के साथ जुड़कर भी काम कर रहा है. साथ ही वह ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से परिचित होकर कार्यक्रमों का निर्माण करता है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी माहवारी स्वच्छता और इससे जुड़ी भ्रांतियों को मिटाने में जुड़ा है. झारखंड में पिछले तीन वर्षों से यह कार्यक्रम संचालित है. झारखंड में इस कार्यक्रम से जुड़ीं रफत फरजाना ने बताया कि हमारा काम जागरूकता से जुड़ा है. साथ ही हम सेनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में भी जुटे हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है. कार्यक्रम की शुरुआत के समय वर्ष 2011 में इन पांच जिलों की सहियाओं (आशा) को प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वे ग्रामीण इलाकों में माहवारी स्वच्छता से संबंधित जानकारियां अच्छे से उपलब्ध करा सकें. सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों के कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को फ्री डेज नाम की सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करायी जाती है. जिसका वितरण सहिया गांवों में करती है. किशोरियों को यह नैपकिन छह रुपये में उपलब्ध करायी जाती है. वह आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और किशोरी मंच की बैठक के जरिये किशोरियों के बीच नैपकिन का वितरण करती है. साथ ही वह किशोरियों को व्यक्तिगत साफ–सफाई की जानकारी भी देती है. सहिया किशोरियों को भ्रांतियों और अंधविश्वासों से दूर रहने की सलाह भी देती है. साथ ही सहिया किशोरियों से उनकी समस्याएं भी जानने का प्रयास करती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी करवाती हैं. जिन किशोरियों को सिर्फ काउंसिलिंग की जरूरत होती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है और जिन्हें इलाज की जरूरत होती है, उनका इलाज डॉक्टर के जरिये करवाया जाता है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का यह कार्यक्रम 10–19 वर्ष की किशोरियों के लिए है. अगर हम सरकारी और गैरसरकारी प्रयासों की समीक्षा करें, तो पायेंगे कि वे केवल जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन यह प्रयास भी काफी सीमित इलाकों में चल रहा है. पश्चिम सिंहभूम(चाईबासा) जिले में केवल महिला सामाख्या काम कर रही है. यूनिसेफ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभी तक इस जिले तक नहीं पहुंच पाया है. जो प्रयास हो रहे हैं, वे शुरुआती दौर में हैं. इन सीमित प्रयासों को विस्तार देने की जरूरत है. साथ ही यह बात भी ध्यान देने वाली है कि ग्रामीण समाज अभी भी कई भ्रांतियों की गिरफ्त में है, जिनसे निकलना इतना सहज नहीं है और माहवारी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना दीर्घकालीन टास्क है. पश्चिम सिंहभूम जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है,बावजूद इसके यूनिसेफ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम यहां संचालित नहीं होना भी आश्चर्य का ही विषय है.

(यह आलेख आईएम 4 चेंज, इंक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत प्रकाशित है)

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता जनसहयोग से संभव

बोकारो : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को लेकर सीआरपीएफ की 26वीं वाहिनी की ओर से मनाये जा रहे स्वच्छता माह के तहत सेक्टर–12 स्थित पेंटीकास्टल पब्लिक स्कूल से को–ऑपरेटिव कालोनी तक साफ–सफाई की गयी. अभियान का नेतृत्व कमांडेंट डॉ संजय कुमार ने किया. डॉ कुमार ने कहा कि जन भागीदारी से शुरू किये गये इस अभियान को लोगों के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है. स्वच्छता से ही स्वस्थ शरीर की कल्पना की जा सकती है. अभियान में मुख्य रूप से जिप अध्यक्ष मिहिर सिंह, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के वरीय प्रबंधक एसएस रमण, को–ऑपरेटिव कॉलोनी के अध्यक्ष आरएस सिंह, डॉ विनय योग, मनोज शर्मा, एडरी तनेजा, ज्योर्तिमय दे, निर्मल कुमार दे, सुमन राय, वीरेंद्र चौबे, शिवाजी सिंह, सुरेश बुधिया, सुनील कुमार सिंह उर्फ अन्ना जी आदि थे.

जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा यज्ञस्थल

बेरमो(बोकारो) : करगली गेट में आयोजित नौ दिवसीय रामचरित मानस यज्ञ के नौवें दिन भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक किया गया. इस अवसर पर पूजन एवं प्रवचन के क्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. इस यज्ञ का समापन पूर्णाहुति के साथ होगा. अयोध्या से पधारे प्रवचनकर्ता रामबिहारी शरण, जौनपुर के प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्र एवं जमुई से पधारे सदानंद मिश्र ने भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक प्रसंग की चर्चा की. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके राज्याभिषेक के क्रम में आयोध्यावासियों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया था, उसी प्रकार का उत्सवी माहौल आज इस यज्ञ स्थल पर भी रही. महिला–पुरुष श्रद्धालु यहां जिस भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, उससे उनके मन में प्रभु श्रीराम के प्रति जो प्रेम एवं श्रद्धा है, उसका प्रदर्शन हो रहा है. यहां राज्याभिषेक के क्रम में पूरा यज्ञ क्षेत्र जय श्रीराम के जयकार से गूंज उठा. साथ ही लोगों ने पुष्पवर्षा कर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया. यज्ञ के दौरान यहां लगने वाले मेले का आनंद भी लोग बढ़–चढ़कर लेते हैं. यज्ञ को सफल बनाने में प्रमोद सिंह, सुशील सिंह, मनोज सिंह, चंद्रमणि सिंह, योगेंद्र सिंह, उदय सिंह, निरंजन सिंह, रवीन्द्र सिंह आदि सक्रिय हैं.

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची

मान्यता प्राप्त संस्थानों (राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर) के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना वर्ष 2014–15 हेतु छात्रवृति आवेदन की प्रथम स्वीकृति से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

कल्याण विभाग के ई–कल्याण पोर्टल (ekalyan.cgg.gov.in) पर नामांकित शिक्षण संस्थान तथा उक्त संस्थान में प्रवेशिकोत्तर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु आवेदन किया गया है, को सूचित किया जाता है कि ई–कल्याण का Website Address : ekalyan.cgg.gov.in पर संस्थान का USER ID एवं Password के द्वारा Login कर संस्थान से संबंधित जानकारी अपलोड करना, साथ ही संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्रा जिनके द्वारा छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है के आवेदन पत्र एवं Upload किये गये अन्य दस्तावेजों की प्रथम स्वीकृति दिनांक – 08.03.2015 तक करना आवश्यक है। सहायता के लिए संस्थान के Login पर Help File उपलब्ध है।

संस्थान के द्वारा प्रथम स्वीकृति के पश्चात ही छात्र/छात्रा का आवेदन कल्याण विभागीय कार्यालयों में ऑनलाइन प्राप्त होंगें। **संस्थानों द्वारा उपरोक्त सभी कार्य नहीं करने पर उनके संस्थान के छात्र सरकार के छात्रवृति योजना से वंचित हो जायेंगें।** जिसकी जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

ई–कल्याण पोंटल (ekalyan.cgg.gov.in) पर नामांकित शिक्षण संस्थान जिन्हे USER ID एवं Password प्राप्त नहीं हो सका हो, कृपया ई–कल्याण पोंटल (ekalyan.cgg.gov.in) के होम पेज पर अंकित सूचनानुसार संस्थान से संबंधित सूचना (संस्थान के E-mail Address के साथ) pmuekalyan@gmail.com पर अविलम्ब/तुरन्त ई मेल कर प्राप्त करें।

यदि कोई कठिनाई हो तो E-mail - helpdeskekalyan@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।

P.R.122508(Welfare) 14-15

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय: जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रांची

अपूर्ण मछुआ आवास लाभुको के विरूद्ध सर्टिफिकेट केश दायर करने के सम्बंध में

रॉची जिला में कियान्वित मछुआ आवास योजना (वर्ष–2010–11 एवं 2012–13) के कतिपय लाभुको के द्वारा अद्यतन उनके आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त हेतु लाभुकों को पत्र एवं कारण बताओं नोटिस भी जिला मत्स्य कार्यालय, रॉची से प्रेशित किया गया है, तथापि प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अतः **द्वितीय चरण** में निम्नलिखित मछुआ आवास लाभुकों को इस विज्ञापन के माध्यम से अंतिम रूप से सूचित किया जाता है, कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवास निर्माण कार्य को पूर्ण कर सूचित करें, अन्यथा उन्हे प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली हेतु **सर्टिफिकेट केश दायर** कर दिया जायगा।

क्र0सं0	लाभुको का नाम	लाभुकों का पता
1	श्री लखिचरण मछुआ	पि0 श्री घुसा मछुआ, ग्रा0+पो0–बुठाडीह, बुण्डू, रॉची।
2	श्री दिनेश मछुआ	पि0 श्री स्व0 अजमत मछुआ, ग्रा0+पो0–बुठाडीह, बुण्डू, रॉची।
3	श्री जया मछुआ	पि0स्व0 माधव मछुआ, गां0+पो0–बबईकुण्डी, आमलेशा, तमाड़, रॉची।
4	श्री खुदू मछुआ	पि0 श्री सुफल मछुआ, गां0+पो0–झारगॉव, पुण्डीदीरी, तमाड़, रॉची।
5	श्री सुखदेव मछुआ	पि0 श्री छोटे मछुआ, गां0+पो0–झारगॉव, पुण्डीदीरी, तमाड़, रॉची।
6	श्री भगत मछुआ	पि0 श्री बुधन लाल मछुआ, गां0+पो0–झारगॉव, पुण्डीदीरी, तमाड़, रॉची।
7	श्री अनिल मछुआ	पि0 श्री शिव शंकर मछुआ, गां0+पो0–तैमारा, बुण्डू, रॉची।
8	श्री गोविन्द मछुआ	पि0 श्री श्रीमंत मछुआ, गां0+पो0–गोसाईडीह, बुण्डू, रॉची।
9	श्री प्रकाश मछुआ	गां0+पो0–तैमारा, बुण्डू, रॉची।
10	श्री मनबोध मछुआ	पि0 श्री ब्रजमोहन मछुआ, गां0+पो0–बुठाडीह, बुण्डू, रॉची।

P.R.122551(Fish) 14-15

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रांची

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, खूँटी

शुद्धि पत्र

PR No- 121852 द्वारा प्रकाशित निविदा तिथि दिनांक –14.02.2014 के अग्रधन की राशि जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 01.03.15 के स्थान पर 02.03.05 तथा निविदा खोलने की तिथि 02.03.15 के स्थान पर 03.03.15 पढ़ी जाए।

शेष शर्त्तें यथावत रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, खूँटी

P.R.122513(Drinking Water and Sanitation) 14-15

कार्यालय:असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

निविदा सूचना सं.- 321 दिनांक - 26.02.2015

अल्पकालीन पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना

सदर अस्पताल खूँटी एवं सर्जेसी के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों एवं कार्यालयों के लिए मशीन उपकरण एवं उपस्कर के क्रय/दर निर्धारण हेतु निबंधित ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित निर्माताओं या उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेंसियों जिनकी आर्थिक स्थिति सक्षम हो से निबंधित डाक/स्पीट पोस्ट से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्राप्ति करने का स्थान एवं पता :– सिविल सर्जन कार्यालय,खूँटी।
2. निविदा प्राप्ति करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 09.03.2015 को संध्या 05:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 10.03.2015 को अपराह्न 01:00 बजे।
4. निविदा खोलने का स्थान :– अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय।
5. निविदा हेतु आवेदन शुल्क की राशि जो सिविल सर्जन, खूँटी के नाम से देय होगा (Non Refundale) :– 1000.00 (एक हजार रूपये)

निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा के सभी ब्यौरे तथा शर्त्तों सहित निविदा विवरणी सिविल सर्जन कार्यालय,खूँटी के सूचना पट्ट एवं खूँटी जिले के अधिकृत वेबसाईट http://Khunti.nic.in & Jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

P.R.122535(Health Med Edu and Family Welfare) 14-15

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
कार्यालय - भूमि संरक्षण पदाधिकारी, खूँटी
पता- संयुक्त कृषि भवन, खूँटी

E-Mail ID -scokhunti@gmail.com

Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के अन्तर्गत कृषि उपकरण बैंक की स्थापना वित्तीय वर्ष 2014–15

वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र प्रायोजित National Mission on Agriculture Extension and Technology योजना अन्तर्गत् Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) उप योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु

आवेदन आमंत्रण सूचना

जिला–खूँटी में प्राप्त लक्ष्य 01 (एक) के आलोक में ग्राम स्तर पर ''कृषि उपकरण बैंक की स्थापना'' चयनित ग्राम **(जलछाजन क्षेत्र से सम्पोषित)** के स्वयं सहायता समूह/सहाकरी समिति/कृषक उत्पादक संस्था (FPOs)/जलछाजन समिति के माध्यम से **''पहले आओ पहले पाओ''** के सिद्धान्त पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–571 दिनांक–24.02.2015 के आलोक में निबंधित जलछाजन समिति को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरान्त संबंधित ग्राम सभा से अनुशंसा प्राप्त करके उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। कृषि उपकरण बैंक की स्थापना में कृषि यंत्रों का वितरण मॉडल पैकेज/वांछित पैकेज निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 175 दिनांक 25.02.15 के आलोक में अनुमोदित किया जायेगा। कृषक समूह (08 कृषक) का चयन एवं विभागीय संकल्प संख्या–1251 दिनांक–08.05.2012 के द्वारा निर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन अनुदेश एवं **Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)** के कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में कारवाई की जाएगी। कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख (दस लाख) रूपये का अनुदान देय होगा जिसमें केन्द्र समर्थन अनुदान 75 प्रतिशत अधिकतम 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार) रूपये एवं राज्य समर्थन मूल्य 25 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रूपये अनुदान देय होगा। लागत का शेष राशि 20 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) कृषक समूह के द्वारा वहन किया जाएगा।

Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) की स्थापना हेतु विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.jharkhand.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) अन्तर्गत कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र www.jharkhandsoil.gov.in/ भूमि संरक्षण कार्यालय, खूँटी से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 10.00 बजे से 5.00 बजे अपराहन तक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन दिनांक **09.03.15** से दिनांक **12.03.15** तक **पता– संयुक्त कृषि भवन, खूंटी** में जमा किया जाएगा। आवेदन जमाकर्ता को उनके आवेदन की प्राप्ति रसीद दी जाएगी। आवेदक समूह/संस्था को आवेदन विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–3) में सारी सूचना/अहर्ता/अनुशंसा पूर्ण करते हुए संबंधित कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन समूह/संस्था द्वारा निबंधन/भू–धारित/कार्यानुभव/20% राशि की उपलब्धता प्रमाण पत्रों/अंकेक्षण (तीन वर्षों का)/स्वच्छता प्रमाण पत्र (चरित्र प्रमाण पत्र)/एवं संस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी संलग्न किया जाए ताकि सुयोग्य समूह/संस्था का चयन किया जा सके।

P.R.122529(Agriculture) 14-15

भूमि संरक्षण पदाधिकारी, खूंटी